न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/21/2025	2025/54	16.07.2024	16.12.2025

1.रामकिशोर मीना पुत्र श्री वैसन्ती लाल मीना, उम्र करीब 55 वर्ष, जाति मीना निवासी ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान, राज०।

——अपीलाण्ट

बनाम

1.श्रीमान तहसीलदार (भू०अ०) राजगढ जिला अलवर राजस्थान।
2.भौरी देवी पत्नि बंशीराम (मृतक)।
3.लाडबाई पत्नि रामकुंवार,
4 कैलाश,
5.हेमराज,
6 भीमसिंह पुत्रान रामकुंवार,
7.बीना,
8.सुमन पुत्रीयान रामकुंवार,
9.रामकुंवार (मृतक)।
10.ओमकार,
11.हजारीलाल,
12.रामसिंह पुत्रान बंशीराम,
13.जानकी पुत्री बंशीराम,
14.गोरधन पुत्र गोविन्दा,
15.लल्लूराम पुत्र गोविन्दा,
16.भौली देवी बेवा सुमरथलाल,
17.खेमचन्द पुत्र सुमस्थलाल जाति मीना निवासी ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

——असल रैस्पाडैन्ट्स

18.नानगी पत्नि श्री बसन्ती लाल मीना,
19.पप्पू
20.विक्रम पुत्रान श्री बसन्ती लाल मीना,
21.रिब्बन,
22.कम्पूरी पुत्रीयान श्री बसन्ती लाल मीना जाति मीना निवासी ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान

——तरतीबी रेस्पाडेन्ट्स

राजस्व प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) कैम्प अलेई तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 14–7–17 जिसके द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीक पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, नामान्तकरण विभाजन संख्या 1007 दिनांक 14–7–17 ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान दर्ज कर स्वीकार किया गया। बमुराद मंसूखी उक्त आज्ञा एवं नामान्तकरण व स्वीकार किए जाने अपील अपीलाण्ट व दिलाये जाने खर्चा मुकदमा एवं अन्य न्यायोचित अनुतोष।

उपस्थितः–

01. श्री ओमानन्द चौधरी —वकील अपीलाण्ट
02. श्री सतीश चन्द जैन —वकील रेस्पोडेन्ट्स

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के आदेश दिनांक 14.07.2017 इंतकाल विभाजन संख्या 1007 वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है। जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) कैम्प अलेई तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 14.07.2017 जिसके द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीक पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, नामान्तकरण विभाजन संख्या 1007 दिनांक 14.07.2017 ग्राम थाना तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान दर्ज कर स्वीकार किया गया है, के खिलाफ यह प्रथम राजस्व अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य हैं। मिन अपीलान्ट को पूर्व में उक्त आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) कैम्प अलेई तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 14.07.2017 जिसके द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीक पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, नामान्तकरण विभाजन संख्या 1007 दिनांक 14.07.2017 ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान दर्ज कर स्वीकार किया गया हैं, की कोई जानकारी नही थी। क्योंकि उक्त आज्ञा व उसके आधार पर दर्ज व स्वीकार उक्त नामान्तकरण रैस्पाडैन्ट संख्या एक द्वारा मिन अपीलान्ट की गैरहाजरी व गैरमौजूदगी में बिना कोई नोटिस जारी कियें, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये, पारित व दर्ज व स्वीकार किया गया हैं। इसलिए अपील समयावधि में पेश नही की जा सकी। जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई लापरवाही या बदयान्ती नही हैं। उक्त आलोच्य आज्ञा व नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 07.06.2024 को हुई, जब मिन अपीलान्ट द्वारा रूपयो की आवश्यकता होने पर स्वयं की खातेदारी की आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत ऋण लेने की मंशा से आराजी की जमाबन्दी की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त की गई, जिसे देखने पर ज्ञात हुआ, कि आराजी का बंटवारा खातेदारो के मध्य होने के कारण पृथक—पृथक खाता कायम हो चुका हैं। इस पर मिन अपीलान्ट ने दिनांक 02.07. 2024 को उक्त आलोच्य आज्ञा की नकल के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 02. 07.2024 को तैयार होकर दिनांक 03.07.2024 को प्राप्त हुई। उसके बाद मिन अपीलान्ट ने उक्त आलोच्य आज्ञा के आधार पर दर्ज व स्वीकार उक्त नामान्तकरण की नकल के लिए प्रार्थनापत्र दिनांक 05.07.2024 को पेश किया, जो नकल दिनांक 08.07.2024 को तैयार होकर दिनांक 09. 07.2024 को प्राप्त हुई। दिनांक 10.07.2024 को अलवर राजस्थान आकर नकल व कागजात वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो वकील साहब ने अविलम्ब न्यायालय श्रीमान में अपील पेश करने की कानूनी राय दी। इसके बाद अपील करने के लिए आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 07.06.2024 से अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही हैं। जहां आलोच्य आज्ञा आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हों, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गई हों, वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता हैं। ऐसी आज्ञा को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है, मियाद की कोई पाबन्दी नही हैं। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त हैं। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रुख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्ट न्यायहित में आलोच्य आज्ञा दिनांक 14.07.2017 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 07.06.2024 व दिनांक 07.06.2024 से आज तक का समय जो मिन अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण मियाद में मुजरा देकर पेशकर्दा अपील अन्दर मियाद ग्रहण कर आगामी कार्यवाही करने के लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05—09 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं। आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) कैम्प अलेई तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 14.07.2017 व नामान्तकरण विभाजन संख्या 1007 दिनांक 14.07. 2017 ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान की सत्यप्रतिलिपी अपील के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही हैं।

आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (मू०अ०) कैम्प अलेई तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 14.07.2017 जिसके द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीक पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, नामान्तकरण विभाजन संख्या 1007 दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

14.07.2017 ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान दर्ज व स्वीकार किया गया हैं, न्यायिक विधि एवं तथ्यो एवं मौके व कब्जे व राजस्व रिकार्ड के खिलाफ हैं। इसलिए उक्त आलोच्य आज्ञा व नामान्तकरण निरस्तनीय हैं। निरस्त फरमाये जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। तहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य आज्ञा व उसके आधार पर दर्ज व स्वीकार उक्त नामान्तकरण विधि एवं तथ्यों व मामले की परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित वैद्यानिक सिद्धान्तों की अनुपालना किये बिना ही अवैद्य व बेजा तोर से पारित किये गये हैं। जो हर सूरत में निरस्त होने योग्य हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल खसरा नंबर 259 रकबा 0.40 हैक्टेयर, 261 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 258 रकबा 0.58 हैक्टेयर, 267 रकबा 0. 25 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं। पूर्व में उक्त आराजी मिन अपीलान्ट के पिता बसन्ती लाल मीना की खातेदारी में दर्ज थी। जिनके द्वारा अन्य सह खातेदारो के साथ आपसी सहमति से बाहमी तौर पर उक्त आराजी का बंटवारा कर लिया गया, और उसी के अनुसार स्वयं के हिस्से कब्जे की आराजी खसरा नंबर हाल 261 रकबा 0.31 हैक्टेयर पर काबिज होकर हर प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने लग गये। जिस आराजी के रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि में मिन अपीलान्ट के पिता बसन्ती लाल मीना द्वारा मकान भी निर्मित किया हुआ हैं, जिसमें बसन्ती लाल मीना अपने जीवनकाल तक परिवार सहित रिहायश करते रहें, व उनके स्वर्गवास उपरान्त मिन अपीलान्ट अपने परिवार सहित रिहायश कर रहा हैं। किन्तु उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज हैं। ऐसी सूरत में असल रैस्पावैन्टस संख्या 2 लगायत 17 उक्त आराजी का दुबारा विभाजन कराने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए अपीलाधीन आलोच्य आज्ञा व नामान्तकरण निरस्तनीय हैं। तहत अदालत के समक्ष कैम्प में उक्त आराजी का बंटवारा खातेदारो के मध्य कभी नहीं हुआ, ना ही तथाकथित बंटवारा खातेदारो के कब्जे अनुसार किया गया हैं। मिन अपीलान्ट व उसकी बहन रिब्बन के फर्जी हस्ताक्षर कर दिनांक 14–07–2017 को विभाजन–पत्र तैयार किया गया है। जिस विभाजन पत्र पर असल रैस्पाडैन्टस संख्या 2 लगायत 17 द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचते हुए, मिन अपीलान्ट के हिस्से व कब्जे की आराजी व मकान को हडप कर मिन अपीलान्ट को बेजा नुकसान पहुँचाने व स्वयं लाभ प्राप्त करने की मंशा से कूटरचना कारित करते हुए, मिन अपीलान्ट व उसकी बहन रिब्बन के फर्जी हस्ताक्षर कर उक्त विभाजन पत्र तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर आराजी का विभाजन करा लिया गया। जिसमें असल रैस्पाडैन्टस संख्या 2 लगायत 17 ने स्वयं को उस आराजी का खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करा लिया, जिसमें अपीलान्ट पूर्व में बुजुर्गो के समय हुए बंटवारे के अनुसार काबिज था, और स्वयं के हिस्से व कब्जे की आराजी में मकान निर्मित कर परिवार सहित रिहायश कर रहा हैं। जिस संबध में मिन अपीलान्ट ने सक्षम अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, क्रम संख्या 1 राजगढ जिला अलवर राजस्थान के समक्ष फौजदारी इस्तगासा अपराध अर्न्तगत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता पेश किया गया हैं, जो कार्यवाही विचाराधीन हैं। उक्त विभाजन पत्र के आधार पर कसीद राजस्व नक्शें में खसरा नंबर हाल 261 में से नवीन खसरा नंबर हाल 261/1246 कायम करते हुए, उसका असल रैस्पाडैन्टस संख्या 16 भौली देवी व 17 खेमचन्द को काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर दिया गया। विभाजन पत्र पर आज्ञा पारित करने से पूर्व कानूनन रैस्पाडैन्ट संख्या एक तहसीलदार को दोनो पक्षकारान को कैम्प में उपस्थित रहने के लिए नोटिस जारी कर नियत दिनांक की बाबत सूचना दिया जाना अनिवार्य था, जबकि ना तो तहसीलदार से कोई नोटिस दिया गया, और ना ही मौखिक सूचना दी गयी। पटवारी हल्का व कानूनगो ने मौके पर जाये बिना, असल रैस्पाडैन्टस संख्या 2 लगायत 17 से प्रभावित व साज बाज होकर उसकी मनमर्जी से उक्त विभाजन पत्र तैयार किया हैं। प्रकरण में समस्त पक्षकारान को किसी प्रकार के कोई नोटिस जारी नही किये गये हैं। ना ही पक्षकारान की उपस्थिति में उक्त विभाजन पत्र तैयार किया गया हैं। इसलिए अपीलाधीन आलोच्य आज्ञा व नामान्तकरण निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

पटवारी हल्का व कानूनगो द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में उक्त विभाजन पत्र तैयार नहीं किया गया, ना ही पक्षकारान की सहमति ली गई, ना मिन अपीलान्ट के हस्ताक्षर करायें गयें, मिन अपीलान्ट व उसकी बहन रिब्बन के फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं। तहसीलदार साहब द्वारा कैम्प में ही उक्त विभाजन पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं। समस्त कार्यवाही असल

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

रैस्पाडैन्टस संख्या 2 लगायत 17 से साजबाज होकर की गई हैं। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पासैन्टस ने विभाजन पत्र पर कोई सहमति नहीं दी गई। तहत अदालत द्वारा आलोच्य आज्ञा पारित करने व आलोच्य नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को सूचित कर सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक था। लेकिन तहत अदालत ने अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को बिना सूचित किए, बिना सुनवाई का अवसर दिए, व कोई विधिवत सूचना दिये बगैर, केवल असल रैस्पाडैण्टस संख्या 2 लगायत 17 के कथन पर बेजा विश्वास कर आलोच्य आज्ञा व नामान्तकरण कैम्प कोर्ट में पारित किया हैं। कैम्प कोर्ट में निर्णय पक्षकारान की सहमति व राजीनामा के आधार पर ही पारित किया जा सकता हैं। अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं थें, ना उनके द्वारा विभाजन पत्र तैयार कराया गया, ना कोई सहमति दी गई। तरतीबी रैस्पाडैन्टस विवादित आराजी व प्रकरण में हित निहित हैं, जो अपीलान्टस बनकर पैरवी करने में असमर्थ हैं। इसलिये रफाये हुज्जत तरतीबी रैस्पाडैन्टस बनाया गया हैं। अन्य उजरात तथ्य वक्त बहस जुबानी अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किए जावेंगें। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) कैम्प अलेई तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 14.07.2017 व उसके आधार पर दर्ज व स्वीकार नामान्तकरण विभाजन संख्या 1007 दिनांक 14.07.2017 ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान निरस्त फरमायें जावें। खर्चा मुकदमा अपीलान्ट को असल रैस्पाडैन्टस से दिलाया जावें। व अन्य उचित आज्ञा जों न्यायसंगत हों, बहक अपीलान्ट विरूद्ध असल रैस्पाडैन्टस सादिर फरमायी जावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉड तलब किया गया।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 1007 दिनांक 14.07.2017 वाके ग्राम थाना, तहसील राजगढ को निरस्त किये जाने हेतु पेश की गई है। नामान्तकरण सहमति से विभाजन के आधार पर दर्ज किया गया है। दोना पक्षों के पास समान रकबा है। कोर्ट में रिब्बन के फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं। फर्जी हस्ताक्षर का सीमाज्ञान के बाद पता चला तब एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर की कॉपी संलग्न की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाए।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा वकील अपीलांट के कथनों को नकारते हुए कथन किये कि विवाद नामान्तकरण संख्या 1007 दिनांक 14.07.2017 वाके ग्राम थाना, तहसील राजगढ का है। सभी की सहमति से इकरारनामा दिया है। सह खातेदारों द्वारा अपील नहीं की गई। जिससे अपील करने में देरी हुई। आराजी खसरा न0 261 रकबा 0.06 है0 का तितम्बा कटा, पर्चा मौका पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं। उस समय मौके पर मकानात नहीं थे, बाद में लैटरिन–बाथरूम बनाये गये हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाए।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर स्पष्ट है कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार राजगढ़ (कैम्प अलेई) के आदेश दिनांक 14.07.2017 तथा उसके आधार पर ग्राम थाना के नामान्तकरण संख्या 1007 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट का मुख्य तर्क है कि उक्त विभाजन उसकी अनुपस्थिति में, बिना किसी सूचना (Notice) के और उसकी बहन रिब्बन के फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित तरीके से पारित किया गया है। विभाजन हेतु कोई कानूनी नोटिस जारी नहीं किया गया। विभाजन पत्र पर अपीलान्ट और उसकी बहन के हस्ताक्षर फर्जी हैं, जिसके संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

समक्ष फौजदारी इस्तगासा विचाराधीन है। अपीलान्ट अपने पिता के समय से ही खसरा नंबर 261 पर मकान बनाकर काबिज है, जबकि नए विभाजन में उसे वहां से बेदखल कर अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिए गए हैं। रेस्पोडेन्ट्स के मुख्य तर्क हैं कि विभाजन आपसी सहमति से हुआ है और मौके पर सभी के हस्ताक्षर हैं। विभाजन के समय मौके पर कोई मकान नहीं था।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विभाजन पूर्व सभी सह–खातेदारों को सिविल प्रक्रिया संहिता या राजस्व नियमों के तहत उचित नोटिस नहीं दिया गया था। कैम्प कोर्ट में निर्णय केवल सर्वसम्मति से ही लिया जा सकता है, जो यहाँ विवादित है। हस्ताक्षर की सत्यता के लिए अपीलान्ट द्वारा हस्ताक्षरों को 'फर्जी' बताए जाने और फौजदारी कार्यवाही शुरू करने से मामला गंभीर हो जाता है। यदि हस्ताक्षर कूटरचित हैं, तो पूरी कार्यवाही (प्रारंभ से ही शून्य) शून्य मानी जाएगी। अपीलान्ट का लंबे समय से मकान बनाकर काबिज होना और राजस्व रिकॉर्ड में उसे नजरअंदाज करना प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध प्रतीत होता है। तहसीलदार द्वारा पारित इंतकाल में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) कैम्प अलेई तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा पारित इन्तकाल संख्या 1007 दिनांक 14.07.2017 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

स्था० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर